

Transport Department Gorakhpur RTO

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No : UP53EV8205 Registration Date : 01-Jan-2024
 Description of Vehicle : MOTOR CAR Purpose For Printing RC : NEW
 Dealer's Name & Address : SMARTWHEELS PVT.LTD.-III, MEDICAL COLLEGE RD. AUTO ZONE, GULHARIYA, GORAKHPUR, , , 188-273001
 Owner Name : JAINUDDIN ANSARI Son/wife/daughter of : WAZID ALI
 Full Address: (Permanent) : WARD NO 30 JUNCTION ENCLAVE, COLONY NEAR GULHARIYA, POLICE STATION, GORAKHPUR, UTTAR PRADESH-273013
 Full Address: (Temporary) : WARD NO 30 JUNCTION ENCLAVE, COLONY NEAR GULHARIYA, POLICE STATION, GORAKHPUR-UTTAR PRADESH-273013
 Fitness UpTo : 31-Dec-2038 Owner Serial No : 1
Detailed Description
 Class of Vehicle : MOTOR CAR Link Vehicle No :
 Ownership : INDIVIDUAL Nominee Name : AAYESHA AHMED ANSARI
 Relationship with the Nominee : Spouse Norms : BHARAT STAGE VI
 Maker's Name : MARUTI SUZUKI INDIA LTD
 Front HSRP No : IA0025182596 Rear HSRP No : IA0025182597
 Type of Body : RIGID (PASSENGER CAR) Month/Year of Manuf. : 10/2023
 No of Cylinders : 4 Chassis No : MA3CNC72SPK355160
 Engine No : K15CN7280424 Fuel : PETROL/HYBRID
 Horse Power(BHP) : 101.57 Cubic Capacity : 1462.00
 Maker's Classification : XL6 SMART HYBRID ZETA Wheel base : 2740
 Seating Cap(in all) : 6 Standing Cap : 0
 Sleeper Cap : 0 Unladen Wt (kgs) : 1200
 Colour : PRME GRANDEUR GREY Laden/GV Wt (kgs) : 1740
 Other Criteria : AC Fitted : YES
 Vehicle Purchase As : Fully Built

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	Description	As Regd.	Weight(in kgs)
a) Front:			
b) Rear:			
c) Other:			
d) Tandem:			

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of STATE BANK OF INDIA, BASHARATPUR, , , Gorakhpur, Uttar Pradesh-273013 w.e.f. 28-Dec-2023.

Purchase dt : 28-Dec-2023 Sale Amt : 1156340/-
 OTT Date : 28-Dec-2023 Amount/Rcpt No : 115634 / UP53D24010000151
 Vehicle is Govt./ Pvt. : PRIVATE Tax Exempted or Not : NOT EXEMPTED

Date of Approval : 23-Jan-2024

Other State/Transfer/Conversion/Reassign Details

Previous Owner : Previous RegNo :
 Old State : Entry Date :
 Transfer Date : Conversion Date :

This certificate is valid from 01-Jan-2024 to 31-Dec-2038

Date : 23-Jan-2024 18:01:17

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority

Date : 23-Jan-2024

P 6230252

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश में लगभग 37729 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 21227 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 24897 व्यक्ति घायल हो गए। इसी प्रकार अगस्त 2022 तक प्रदेश में लगभग 27871 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 15213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 19103 व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें	कभी न करें
1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।	1. ड्राइविंग लाईसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।	2. वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें।
3. चौराहे पर लाईट रेड होने पर आगे न बढ़ें।	3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।	4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।	5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.upsdc.gov.in)

2. परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी

